न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी – श्रीमती स्वाति गुप्ता, आर.ए.एस.

विविध प्रार्थना पत्र संख्या 2019/066
अन्तर्गत धारा 212 राज. काश्तकारी अधिनियम

1. जसविन्द्र सिंह पुत्र श्री बाजा सिंह जाति रायसिख आयु– 56 वर्ष निवासी– खाटलबाना तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0)।

......प्रार्थी

बनाम

1. बाजा सिंह पुत्र श्री राम सिंह जाति रायसिख निवासी– खाटलवाना तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0)।
2. कुलवन्त सिंह पुत्र श्री बाजा सिंह जाति रायसिख निवासी– खाटलवाना तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0)।
3. सुरजीत कौर पुत्री श्री बाजा सिंह जाति रायसिख आयु– 56 वर्ष निवासी–खाटलबाना तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0)। –––मृतका
   - 3/1. जसवन्त सिंह पुत्र कलवन्त सिंह (माता–सुरजीत कौर) जाति रायसिख निवासी–गांव मूलेयांवाली तहसील व जिला फाजिल्का (पंजाब)।
   - 3/2. गुरचरण सिंह पुत्र कलवन्त सिंह (माता–सुरजीत कौर) जाति रायसिख निवासी गांव मूलेयांवाली तहसील व जिला फाजिल्का (पंजाब)।
   - 3/3. छिन्दो बाई पत्नी विक्रम सिंह पुत्री कलवन्त सिंह (माता–सुरजीत कौर) जाति रायसिख निवासी– गांव पतरेवाला तहसील व जिला फाजिल्का (पंजाब)।
   - 3/4. सोमा बाई पत्नी कलवन्त सिंह व पुत्री कलवन्त सिंह (माता–सुरजीत कौर) जाति रायसिख निवासी–गांव पतरेवाला तहसील व जिला फाजिल्का (पंजाब)।
4. मनजीत कौर उर्फ गुरमीत कौर पुत्री बाजा सिंह (पत्नी पाला सिंह) जाति रायसिख निवासी– गांव तुंतावाली तहसील अबोहर जिला फाजिल्का (पंजाब) –––मृतका
   - 4/1. गुरजिन्द्र सिंह पुत्र पाला सिंह (माता–मनजीत कौर उर्फ गुरमीत कौर) जाति रायसिख निवासी गांव तुंतावाली तहसील अबोहर जिला फाजिल्का (पंजाब)।
   - 4/2. सुरेन्द्र कौर पुत्री पाला सिंह (माता–मनजीत कौर उर्फ गुरमीत कौर) जाति रायसिख निवासी गांव तुंतावाली तहसील अबोहर जिला फाजिल्का (पंजाब)।
   - 4/3. गुरप्रीत कौर पुत्री पाला सिंह (माता–मनजीत कौर उर्फ गुरमीत कौर) जाति रायसिख निवासी गांव तुंतावाली तहसील अबोहर जिला फाजिल्का (पंजाब)।
5. अमरजीत कौर पुत्री बाजा सिंह (पत्नी–गुरमीत सिंह) जाति रायसिख निवासी गांव खाटलबाना तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0)।
6. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर

......अप्रार्थीगण

उपस्थित– श्री विरेन्द्र पाल सिंह (प्रार्थी)
श्री जीतपाल सिंह सैनी (अप्रार्थी 02)
पैरोकार राज (अप्रार्थी 06)

दिनांकः–09 दिसम्बर, 2025

–निर्णय–

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्ष उपस्थित। पत्रावली में बहस प्रार्थना पत्र धारा 212 राज. काश्त. अधिनियम सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किए कि उपरोक्त अनवानी वाद अन्तर्गत धारा 88, 91, 188, 92, 209 आर टी एक्ट का श्रीमान् न्यायालय में पेश किया जा चुका है, जिसमें अंकित समस्त तथ्यों को इस प्रार्थना–पत्र के तथ्यों के रूप में पढा जावें, जिससे तथ्यों की पुनरावृति ना हो सकें। वाद–पत्र में अंकित तथ्यों, दस्तावेजी साक्ष्यों एवं प्रार्थी के शपथ–पत्र से तीनों बिन्दुः– 1. प्राईमा फैसाई केस, 2. सुविधा का संतुलन, 3 अपूरणीय क्षति प्रार्थी के हक में साबित है, अतः ता फैंसला दावा अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अप्रार्थी सं0 1, प्रार्थी का पिता है, अप्रार्थी सं0 2, प्रार्थी का भाई व अप्रार्थी सं0 3 ता 5, प्रार्थी की बहिने है, जो कि शादीशुदा है, इस प्रकार प्रार्थी व अप्रार्थीगण 1 ता

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

5 एक ही वंश के है। अप्रार्थी सं0 1 को प्रार्थी के पूर्वजों दादा/परदादा से निम्नलिखित कृषि भूमि विरासतन मिली हुई है तथा उसके नाम से प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 1 ता 5 के संयुक्त हिन्दु खानदान के कर्ता व मैनेजर के रूप में खातेदारी दर्ज है, जबकि प्रार्थी का उपरोक्त भूमि में जन्म से हक हिस्सा बनता है, इस प्रकार प्रार्थी निम्नलिखित भूमि में कानूनन 1/6 हिस्सा का हकदार है। चक 1 जे बडा, पटवार हल्का खाटलबाना तहसील श्रीगंगानगर के खाता सं0 61/48, मु0 नं0 57 के किला नं0 1 ता 25 की 6.325 हैक्टे0 में से 3.794 हैक्टे0 अप्रार्थी सं0 3 ता 5 के विवाह उपरोक्त जद्दी जायदाद की आय से किये गये तथा वह अपने अपने घरों में खुश व आबाद है, इस प्रकार इनको स्त्रीधन के रूप में हिस्सा प्राप्त हो चुका है तथा पारिवारिक समझौता के अनुसार उपरोक्त भूमि 3.794 हैक्टे0 में अप्रार्थी सं0 1 ता 5 ने प्रार्थी का 1/3 हिस्सा स्वीकार कर मौके पर कब्जा भी प्रार्थी को दिया हुआ है, अतः प्रार्थी 5 वीघा भूमि पर काबिज चला आ रहा है, कब्जा प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 1 व 2 का संयुक्त रूप से है, अभी तक खाता का विभाजन नहीं किया। अप्रार्थी सं0 1 जो कि वृद्ध हो चुका है, अपना भला बुरा सोच पाने में असमर्थ है तथा गलत लोगों के प्रभाव में आया हुआ है, जो कि राजस्व रिकॉर्ड में उपरोक्त भूमि अप्रार्थी सं0 1 के नाम दर्ज होने का अनुचित लाभ उठाकर हडपने के प्रयास में है तथा इस कारण अप्रार्थी सं0 1 उपरोक्त जद्दी जायदाद को बिना विभाजन करवाये, बिना प्रार्थी की सहमति के ना केवल मुंतकिल करने के प्रयास में है बल्कि प्रार्थी को स्वयं अथवा अन्य की सहायता से जबरन बेदखल करना चाहता है, यदि वह इसमें सफल हो गया तो प्रार्थी को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा क्योकि प्रार्थी की मौजूदा फसल काश्ता है तथा दावा का मकसद समाप्त होगा तथा मौके पर कभी कोई अप्रिय घटना होकर जानमाल का नुकसान हो सकता है। लिहाजा प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र पेश करके अर्ज है कि ताफैसला दावा अस्थायी निषेधाज्ञा खिलाफ अप्रार्थीगण इस अमर की सादिर की जावें कि अप्रार्थीगण चक 1 जे बडा, पटवार हल्का खाटलवाना तहसील श्री गंगानगर के खाता सं0 61/48, मु0 नं0 57 के किला नं0 1 ता 25 की 6.325 है0 में से अप्रार्थी सं0 1 के नाम दर्ज 3794/6325 अर्थात् 15 वीघा में से किसी भूमि को रहन बैय मुंतकिल करने, प्रार्थी को स्वयं अथवा अन्य किसी की सहायता से जबरन वेदखल करने से बाज व ममनु रहे। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत 2022 RBJ 763, 2022 RBJ 765, 2023(1) DNJ 595 (Rev.) प्रस्तुत कियें।

अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा जरिये अधिवक्ता जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुये निवेदन किया कि प्रार्थनापत्र की मद सं0 1 के इस हद तक स्वीकार है कि वादी/प्रार्थी का वादपत्र माननीय न्यायालय किया जा चुका है शेष तथ्य गलत होनें के कारण अस्वीकार है प्रार्थी का प्रथम दृष्टय मामला नही बनता है तथा सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थी के हक में नही है इसलिए प्रार्थी अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने का अधिकारी नही है। प्रार्थनापत्र की मद सं0 2 इस हद तक स्वीकार है कि अप्रार्थी स0 1 प्राथी का पिता है अप्रार्थी सं0 2 ता 5 अप्रार्थी सं0 1 के पुत्र पुत्रियां है शेष तथ्य गलत होने के कारण अस्वीकार है चक 1 जे वडा, पटवार हल्का खाटलवाना तहसील श्रीगंगानगर के खाता सं0 61/48 के मु0 नं0 57 के किला नं0 1 ता 25 की 6.325 हैक्टर में से 3.794 हैक्टर भूमि अप्रार्थी सं0 1 के नाम से है उक्त भूमि अप्रार्थी सं0 1 को पिता/दादा/परदादा से विरासतन प्राप्त नही हुई है और ना ही उक्त भूमि संयुक्त हिन्दु खानदान की है उक्त भूमि अप्रार्थी सं0 1 की स्वयं अर्जित सम्पत्ति है जिसका अप्रार्थी सं0 1 अकेला मालिक है। प्रार्थना पत्र की मद सं0 3 जिस प्रकार से दर्ज की गई है स्वीकार नही है अप्रार्थी सं0 1 के नाम से दर्ज उकत भूमि जददी जायदाद नही है तथा अप्रार्थी सं0 3 ता 5 के विवाह जद्दी जायदाद भूमि की आय से नही स्वयं अर्जित भूमि की आय से किये गये है यह तथ्य स्वीकार नही है कि अप्रार्थी सं0 1 ता 5 द्वारा कोई पारिवारिक समझौता किया गया हो जिसके अनुसार प्रार्थी का 1/3 हिस्सा स्वीकार किया गया है यह तथ्य भी स्वीकार नही है कि प्रार्थी 5 वीघा भूमि पर काविज चला आ रहा है सम्पूर्ण भूमि पर अप्रार्थी सं0 1 ही काविज चला आ रहा है। प्रार्थनापत्र की मद सं0 4 गलत होने के कारण अस्वीकार है अप्रार्थी सं0 1 आज भी पूर्णतय स्वस्थ है तथा श्रीगंगानगर शहर घरेलू कार्य के लिए आता जाता है यह तथ्य गलत है कि अप्रार्थी सं0 1 अपना भला वुरा सोच पाने में असमर्थ हो तथा गलत लोगो के प्रभाव में है अप्रार्थी सं0 1 का रकवा अन्य सहकाश्तकारो के साथ साझां खाते में है जिसका अभी तक वंटवारा नही हुआ है अप्रार्थी सं0 1 के नाम से दर्ज

भूमि किलावाईज दर्ज नही है चूंकि प्रार्थी के पास कोई रकबा कब्जे में नही है और ना ही प्रार्थी द्वारा फसल काश्त करने का सवाल ही पैदा होता है इसलिए जबरने बेदखल करने का सवाल ही पैदा नही होता है। अप्रार्थी सं0 1 उक्त भूमि का रिकार्डड खातेदार है रिकार्डड खातेदार के विरूद्ध कानूनन अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती है। उक्त भूमि अप्रार्थी सं0 1 को पुनर्वास विभाग अलॉट हुई है जिसकी किश्ते अप्रार्थी सं0 1 द्वारा जमा करवाई गई है इसलिए अप्रार्थी सं0 1 की उक्त भूमि स्वअर्जित सम्पत्ति है जिसमें प्रार्थी को कोई अधिकार प्राप्त नही होते है। उक्त भूमि जददी जायदाद नही है प्रार्थी ने ऐसा कोई रिकार्ड पेश नही किया है जिससे साबित होता हो कि भूमि जददी जायदाद है इसलिए प्रार्थी का प्रथम दृष्टय मामला नही बनता है और ना ही सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के हक में है प्रार्थी के कब्जे में कोई भूमि नही है इसलिए प्रार्थी को कोई नुकसान भी नही है। अप्रार्थी सं0 1 के जीवनकाल में प्रार्थी के कोई अधिकार सृजन नही होते है इसलिए प्रार्थी का प्रार्थनापत्र इसी स्तर पर खारिज किये जाने योग्य है। अतः जवाब प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थनापत्र खारिज किया जावे तो श्रीमान की कृपा होगी।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का ससम्मान अध्ययन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतू हमें विधि द्वारा सुस्थापित बिन्दुओ, प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णीय क्षति पर विचारण करना होगा।

1 जे बडा, पटवार हल्का खाटलबाना तहसील श्रीगंगानगर के खाता सं0 61/48 अप्रार्थी संख्या 01 रिकॉर्डेड खातेदार है जो कि एडमिट फैक्ट है तथा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों से साबित हैं। अप्रार्थी संख्या 01 को प्रश्नगत आराजी जरिये सनद संख्या 9933/2054 प्राप्त हुई है। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के विरूद्ध एवं अप्रार्थी संख्या 01 के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

प्रार्थी संख्या 01 द्वारा किसी प्रकार का दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया है जिससे यह स्पष्ट हो कि प्रार्थी का विवादित आराजी पर किसी प्रकार का कब्जा काश्त हो। अतः बिन्दू सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के विरूद्ध निर्णित किया जाता है।

वाद की विषयवस्तु विवादित आराजी का जद्दी जायदाद में जन्म से हक व हिस्सा होने के कारण अपने अधिकारो की घोषणा करवाने हेतु प्रस्तुत किया हुआ है। जबकि प्रार्थी यह सिद्ध करने में नितान्त असफल रहा है कि प्रश्नगत आराजी किस प्रकार से जद्दी जायदाद है। जबकि अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा प्रस्तुत सनद संख्या 9933/2054 की प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी संख्या 01 को उक्त प्रश्नगत आराजी पुनर्वास विभाग से अलॉट हुई है जो कि स्वअर्जित सम्पति की श्रेणी में आता है। अतः अपूर्णिय क्षति भी प्रार्थी के विरूद्ध एवं अप्रार्थी संख्या 01 के पक्ष में निर्णित की जाती है।

—: आदेश :—

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दू प्रार्थी द्वारा अपने पक्ष में साबित नहीं कर पाने के कारण न्यायालय द्वारा दिनांक 15.11.2019 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा चक 1 जे बड़ा तहसील व जिला श्रीगंगानगर के सं0 61/48, मु0 नं0 57 के किला नं0 1 ता 25 की 6.325 है0 को खारिज किया जाता है। अतः प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 2019/066 अनवानी जसविन्द्र सिंह बनाम बाजा सिंह व अन्य खारिज किया जाता है। मूल वाद के निस्तारण तक विविध पत्रावली संख्या 2019/066 मूल वाद संख्या 2019/089 के साथ नत्थी रहे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 09.12.2025 को जारी किया गया।

स्वाति गुप्ता
(आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीगंगानगर

कार्यालय सहायक कलक्टर एवं उपनिवेशन रिकार्ड नायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर